सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित

प्रधान कार्यालय : ई–5/13, प्रथम तल रविशंकर नगर अरेरा कालोनी, भोपाल – 16

Sadguru Nagrik Sahakari Bank Maryadit

Head Office: E-5/13, First Floor, Ravishankar Nagar, Arera Colony Bhopal-16

क्रमांक/प्र.कार्या./सनाबै/2019–20/514 भोपाल, दिनांक 30.03.2020

प्रति,

शाखा प्रमुख/मार्केटिंग ऑफिसर
सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,
शाखा–अरेरा कॉलोनी/ भेल/ न्यू–मार्केट
भोपाल

विषयः– कोविड 19– महामारी के कारण सावधि ऋण/कार्यशील पूॅंजी सुविधाएं के भुगतानो का पुर्ननिर्धारण बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संचालक मण्डल की बैठक दिनॉक 30.03.2020 में कोविड–19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉक डाउन है तथा उक्त कारण से उधारकर्ताओं का ऋण वापसी का बोझ कम करने और व्यवसायी की निरंतरता सुनिश्चित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक RBI/2019-20/186 DOR.No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 दिनॉक 27 मार्च 2020 का अवलोकन किया जाकर उसे लागू करने बाबत अनुमति प्रदान करते हुए शाखाओं को निर्देशित करने बाबत निर्णय लिया गया है, उक्त परिपत्र संलग्न प्रेषित है जो स्वयं स्पष्ट है,का अवलोकन करें। उक्त परिपत्र में दिये गये महत्वपूर्ण दिशा–निर्देशों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **भुगतानों का पुर्ननिर्धारण – सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅंजी सुविधाएं**

1.1 **सावधि ऋण सुविधाएं –**

सभी प्रकार के सावधि ऋण खातों (आवास ऋण/मॉर्टगेज ऋण/व्यक्तिगत ऋण/व्यावसायिक ऋण/ कार ऋण/स्वर्णाभूषण के तारण पर ऋण आदि)में तीन माह की अधिस्थगन अवधि (

Moratorium Period) देने की अनुमति है अर्थात् 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020 की अवधि (Deferement) में देय मासिक किस्तें (मूलधन और/ या ब्याज घटक) को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु उक्त स्थिति में ऋणी के ऋण खाते की पुर्नभुगतान की अवधि (Repayment tenor) में वृद्धि की जा सकेगी तथा अधिस्थगन अवधि में ब्याज की गणना ऋणी के खाते में शेष राशि पर यथावत जारी रहेगी।

1.2 **कार्यशील पूॅजी हेतु साख–सीमा/अधिविकर्ष सीमा हेतु –**

कार्यशील पूॅजी हेतु साख–सीमा/अधिविकर्ष सीमा के रूप में स्वीकृत खातों के संबंध में बैंक को 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के दौरान लागू ब्याज की वसूली को स्थगित करने की अनुमति है। इस अवधि के पूर्ण होने के तुरंत बाद संचित उपार्जित ब्याज (accumulated accrued interest) वसूल किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅजी सुविधाओं में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार अधिस्थगन अवधि प्रदान करने हेतु शाखा प्रमुखों को संचालक मण्डल द्वारा अधिकार प्रदान किये गये है जिसके तहत संबंधित उधारकर्ताओं से संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर सावधि ऋण खातों में पुर्नभुगतान की अवधि में शाखा स्तर में वृद्धि की जा सकेगी तथा कार्यशील पूॅजी हेतु स्वीकृत साख–सीमा/अधिविकर्ष सीमा खातों में लगाये गये मासिक ब्याज की राशि तक स्वीकृत सीमा से अधिक आहरण की सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बैंक के सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅजी हेतु स्वीकृत साख–सीमा खाताधारकों से संपर्क कर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशानुसार उधारकर्ताओं को आर्थिक गिरावट से निपटने के लिये निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं इसका लाभ लेने हेतु इच्छुक उधारकर्ताओं से संलग्न प्रारूप में आवेदन प्राप्त किये जाये तथा उनका विधिवत रिकॉर्ड संघारित किया जावे तथा संलग्न प्रारूप में जानकारी प्रधान–कार्यालय को भेजना सुनिशिचित करें साथ ही नोट करें कि माह अप्रेल 2020 से जिन खातों में ऋण की मासिक किस्त की वसूली हेतु स्थाई अनुदेश/अग्रिम चेक्स प्राप्त किये गये है उन प्रकरणों में संबंधित उधारकर्ता से संपर्क कर उधारकर्ता से वांछित आवेदन प्राप्त कर आवश्यक आगामी कार्यवाही करना एवं की गई कार्यवाही की पुष्टि संचालक मण्डल से करना सुनिश्चित करें।

उक्त दिशा–निर्देश दिनॉक 01.03.2020 की स्थिति पर बकाया सभी सावधि ऋण एवं कार्यशील पूॅजी हेतु स्वीकृत अधिविकर्ष सीमा/साख–सीमा पर लागू होंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के संलग्न परिपत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं उक्त जानकारी से अपने अधिनस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोट करायें तथा शाखा के सूचना पटल पर लगायें।

अजय खनगन
(प्रभारी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रबंधक (लेखा कक्ष), प्रधान कार्यालय,सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्या.,भोपाल
2. ऋण कक्ष प्रभारी,प्रधान कार्यालय,सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्या.,भोपाल
3. श्री विनायक जोशी, वि.क.अ., प्रधान कार्यालय,सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्या.,भोपाल
4. मे. भावसार एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड अकाउन्टेंट, परिजात काम्पलेक्स, भोपाल

(प्रभारी) मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>प्रारूप</u>

प्रति

शाखा प्रबंधक
सद्‌गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
भोपाल

विषयः– कोविड–19 महामारी के कारण सावधि ऋण खाता क्रमांक .... में अधिस्थगन अवधि एवं पुर्नभुगतान की अवधि प्रदान करने बाबत।

महोदय

जैसा कि आपको विदित है कि संपूर्ण देश में कोविड–19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉक–डाउन है जिसके फलस्वरूप मेरी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है उक्त कारण से मैं आपकी बैंक से लिये गये ऋण राशि रू. .... की मासिक किस्त जमा करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे तीन माह अर्थात् 01 मार्च 2020 से 31 मई 2020 की अवधि में देय मासिक किस्तें जमा करने हेतु (मूलधन/ब्याज) अधिस्थगन अवधि प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से बकाया ऋण राशि पर पूर्वानुसार ब्याज की गणना की जाये तथा ऋण खाते की पुर्नभुगतान की अवधि में वृद्धि की जावे।

बैंक द्वारा अधिस्थगन अवधि एवं पुर्नभुगतान की अवधि में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप ऋण की पुर्ननिर्धारित मासिक किस्त की राशि जमा करने हेतु तत्पर हूँ। महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनॉक भवदीय

हस्ताक्षर एवं नाम
ऋणी एवं जमानतदार

<u>प्रारूप</u>

प्रति

शाखा प्रबंधक
सद्गुरू नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
भोपाल

विषयः— कोविड—19 महामारी के कारण साख—सीमा/अधिविकर्ष सीमा खाता क्रमांक .... में ब्याज की वसूली को स्थगित करने बाबत।

महोदय

जैसा कि आपको विदित है कि संपूर्ण देश में कोविड—19 महामारी के कारण संपूर्ण देश में लॉक—डाउन है जिसके फलस्वरूप मेरी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है उक्त कारण से मैं आपकी बैंक से कार्यशील पूॅजी हेतु प्राप्त साख—सीमा/अधिविकर्ष सीमा राशि रू. .... में लगाये गये मासिक ब्याज को अदा करने में कठिनाई महसूस कर रहा हूॅ मेरा आपसे निवेदन है कि आप साख—सीमा/अधिविकर्ष सीमा खाते में तीन माह अर्थात् 01 मार्च 2020से 31 मई 2020 की अवधि के दौरान लागू ब्याज की वसूली को स्थगित करने का कष्ट करें। उक्त अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से बकाया ऋण राशि पर पूर्वानुसार ब्याज की गणना की जाये तथा उक्त अवधि के दौरान लगाये गये ब्याज की राशि अवधि पूर्ण होने के तुरंत बाद मेरे द्वारा एकमुश्त जमा कर दी जावेगी।

अतः महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनॉक भवदीय

हस्ताक्षर एवं नाम
ऋणी